

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.05.2021

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लक्ष्मण सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी छिटनापुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—163 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती कलावती पत्नी जगदम्बा निवासी मंसापुरी खैरा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—381 / 21, 02. कन्हैया लाल कहार पुत्र रामचन्द्र निवासी पाठकपुरवा खैरा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—382 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि, 03. केशव वर्मा पुत्र रामखेलावन निवासी इटवा बस्ती थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—383 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि, 04. रक्षाराम पुत्र नागेश्वर प्रसाद निवासी खाले झंझरी थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—384 / 21, 05. लल्लू पुत्र स्व0मुन्ना नि0 मजरेठिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—385 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.05.2021

200 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 26.05.2021 को को0 नगर के उ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त तेज बहादुर उर्फ निकू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. तेज बहादुर उर्फ निकू पुत्र दीप नरायन नि0 ग्राम रमनगरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—386 / 21, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 200 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 26.05.2021

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त कुलदीप विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आम्सू एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र नक्छेद नि0 ग्राम देवनपुर पो0 लौकाही थाना हुजूरपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—164 / 21, धारा 3 / 25 आम्सू एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 अमित यादव मय पुलिस टीम।

